न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार और एम.एम.एस. बेदी के समक्ष

सुनील कुमार और अन्य, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, — *उत्तरदाता*

C.W.P. सं. 12187 सन् 2006

1 नवंबर, 2006

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहु प्रयोजन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप 'सी' सेवा नियम, 1984 —R1. 7— निर्देश दिनांक 18 मार्च, 1975 और 2 नवंबर, 1999 को हरियाणा राज्य द्वारा जारी किए गए — बहु उद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम — याचिकाकर्ता ने स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण विभाग, पंजाब से डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त किया — क्या इस तरह के प्रमाण पत्र को हरियाणा राज्य द्वारा अनदेखा किया जा सकता है केवल इस आधार पर कि वह विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार राज्य की अनुमोदित संस्था से प्राप्त नहीं किया गया है —18 मार्च, 1975 के निर्देश अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित उच्च/उच्च माध्यमिक बोर्ड्स द्वारा प्रदान की गई डिग्री और डिप्लोमा की तथ्यतः मान्यताप्राप्त है — उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता की पात्रता को खारिज करने का निर्णय मनमाना है, विवेक का पूर्णतः से प्रयोग किए बिना है और अनुच्छेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन करता है — याचिका अनुज्ञात की गई।

अभिनिर्णित, कि प्रतिवादी सं. 3 अर्थात् हरियाणा राज्य चयन आयोग द्वारा पारित किया गया विवादित आदेश याचिकाकर्ता की पात्रता को केवल इस आधार पर ख़ारिज किया कि उसके द्वारा प्रमाण पत्र अनुमोदित संस्थान द्वारा जारी नहीं किया गया अपितु स्वास्थ्य सेवा परिवार कल्याण विभाग, पंजाब द्वारा प्राप्त किया गया है। ऐसा निर्णय विवेक का पूर्णतः से प्रयोग किए बिना है से है मन के आवेदन के बिना और मनमाना माना जाना चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) की कसौटी पर कायम नहीं किया जा सकता है। प्रमाण पत्र पंजाब सरकार के उस विभाग द्वारा जारी किया गया है जिसे 18 मार्च,1975 के निर्देशानुसार मन्यताप्राप्त माना जाना चाहिए। निर्देश के खंड 2 के अनुसार, विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा स्थापित उच्च/उच्चतर माध्यमिक बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया डिप्लोमा वास्तव में *तथ्यतः* मान्यताप्राप्त है। तत्काल मामले में जारी किए गए

डिप्लोमा न केवल मान्यताप्राप्त है बल्कि स्वास्थ्य सेवाए और परिवार कल्याण,पंजाब के विभाग द्वारा जारी किया गया। इस तरह के प्रमाण पत्र, जो दिनांक 1 मार्च. 1975 के निर्देशों के भावों के अनुकूल है, को नकारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी सं. 3 डिप्लोमा/प्रमाण पत्र अनुमोदित संस्थान द्वारा जारी किया गया है या नहीं का निर्णय लेने के लिए अक्षम था। यहां तक कि निर्देशानुसार डिप्लोमा/प्रमाण पत्र का किसी संस्था द्वारा मूल्यांकन करवाने का भी प्रयास नहीं किया गया है।

(पैरा 4 और 5)

बी.के. बागरी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए ।

हरीश राथे, सीनियर. उप महाधिवक्ता, हरियाणा, राज्य के लिए ।

निर्णय

न्यायमूर्ति, एम.एम. कुमार

(1) याचिकाकर्ता सं. 2 अनिल कुमार ने विज्ञापन दिनांक 7 मई, 2006 (उपाबंद P-1) के जवाब में बी.सी. (ए) वर्ग में बहु प्रयोजन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था । उक्त पद के लिए निर्धारित योग्यताएँ है मैट्रिक, मैट्रिक स्तर तक हिंदी का ज्ञान एवं हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संबंध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करना। याचिकाकर्ता को उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित इस आधार पर किया गया कि उसने स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण विभाग, पंजाब से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संबंध में डिप्लोमा प्राप्त किया है। जब मामला 7 अगस्त, 2006 को प्रस्ताव सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ, तब प्रस्ताव-सूचना जारी करते समय, हमने उत्तरदाताओं को अंतरिम निर्देश जारी किए की वह प्रार्थी को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दें। तदनुसार, प्रार्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ और हमारे निर्देशानुसार उसका परिणाम हमारे समक्ष मुद्राबंद लिफ़ाफ़े में प्रस्तुत किया गया है। मुद्राबंद लिफ़ाफ़े को न्यायपीठ सचिव द्वारा खोला गया है और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो दर्शाता है कि प्रार्थी सं. 2 अनिल कुमार ने बी.सी. (ए) वर्ग में चयनित और नियुक्त किए जाने वाले अंतिम उम्मीदवार, जिन्होंने 47.5 अंक प्राप्त किए हैं, की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। प्रार्थी द्वारा 48.63 अंक प्राप्त किए गए हैं। यह उल्लिखित करना उचित होगा की कि 20 सितंबर, 2006 को प्रार्थी के विद्वक अधिवक्ता ने प्रार्थियों 1 और 3 की ओर से रिट याचिका प्रत्याहृत किया गया क्योंकि उनके द्वारा प्राप्त अंक अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की तुलना में कम थे। तदानुसार, रिट याचिका केवल प्रार्थी सं. 2 अनिल कुमार के संबंध में बचा है।

(2) इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष-सह-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए, परिवार कल्याण, पंजाब द्वारा

जारी किया गया प्रयोजन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) प्रमाण-पत्र प्रतिवादी- राज्य द्वारा केवल इस आधार पर नजरअंदाज किया जा सकता है, कि वह विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार प्रतिवादी-राज्य द्वारा अनुमोदित संस्थान से प्राप्त नहीं किया गया है, जो की हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहु प्रयोजन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप 'सी' सेवा नियम, 1984 (संक्षेप में "1984 नियम") पर आधारहित है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 18 मार्च, 1975 (उपाबंद P-3) के साथ-साथ अन्य नीति निर्देश दिनांक 2 नवंबर, 1999 (उपाबंद P-18) का सहारा लिया है। पश्चात्कथित निर्देशों को याचिकाकर्ता-राज्य ने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मई 1996 की CWP सं. 16320 सन् 1996 **(राम भगत आदि.** *बनाम* **हरियाणा राज्य और अन्य)** दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी किया था। इस न्यायालय ने प्रतिवादी-राज्य को हरियाणा सरकार के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति नियुक्त करने का निर्देश दिया था जो शिक्षा परीक्षाओं/ डिग्री/ डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र और इसी तरह की अन्य योग्यता जो क़ानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों या समविश्वविद्यालयों के अलावा किसी संस्थाओं से सम्मानित किया गया हो, इनकी समतुल्यता और मान्यता को समझे। मान्यता और समतुल्यता जारी करने के नीतिगत निर्णय के अनुसार परीक्षा / डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और शब्दांश का विस्तृत मूल्यांकन किया जाना था। तदनुसार, प्रतिवादी-राज्य ने नीति का निर्माण किया क्योंकि पूर्वोक्त निर्देश दिनांक 2 नवंबर, 1999 ने अन्य बातों के साथ अथिकथित किया था कि हरियाणा राज्य में प्रवेश / भर्ती के उद्देश्य से किसी भी परीक्षा को मान्यता / समतुल्यता प्रदान करते हुए राज्य विश्वविद्यालयों, स्कूल शिक्षा बोर्ड या तकनीकी शिक्षा बोर्ड की राय की मांग की जा सकती है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनके द्वारा अधिग्रहित डिप्लोमा 1-1 / 2 वर्ष का है और डिप्लोमा जो प्रतिवादी- हरियाणा राज्य ने अपने अनुमोदित संस्थानों के माध्यम से सम्मानित किया है वह भी 1-1/2 वर्ष की अवधि के लिए है।

(3) निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं (मलेरिया) हरियाणा द्वारा, संबंधित CWP सं. 12161 सन् 2006 जिसे तत्काल रिट याचिका में भी अपनाया गया है, लिखित बयान में यह दावा किया गया है कि सरकारी क्षेत्र से दो संस्थान, अर्थात् राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र, रोहतक एवं बहु प्रयोजन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) प्रशिक्षण विद्यालय, सोनीपत को मंजूरी दी गई है। निजी क्षेत्र में छह संस्थान, अर्थात्, गुरु तेग बहादुर शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र, नरवाना (जिंद), राजिंद्रा स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, सिरसा, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान और कल्याण समाज संस्थान, फतेहाबाद, जय बजरंग बली बहुउदेश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एम) प्रशिक्षण केंद्र, मोहिंदरगढ़, बालाजी स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थान शिक्षा, भिवानी और कैलाश स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थान विज्ञान, पंचकुला ने मंजूरी दी है।

(4) पार्टियों के लिए विद्वक अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारा यह मानना है कि तत्काल याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रतिवादी-राज्य ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहु प्रयोजन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप 'सी' सेवा के लिए नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाए हैं। नियम 7 के अनुसार, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव को परिशिष्ट 'ब' में निर्दिष्ट किया गया है। प्रवेश सं. 3 योग्यताओं के संबंध में है जो प्रदान करता है कि व्यक्ति का मैट्रिकुलेट होना आवश्यक है और उसे मैट्रिक तक हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अन्य निर्धारित योग्यता यह है कि ऐसे व्यक्ति ने सरकार द्वारा अनुमोदित बहुउदेश्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया हो। राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्डों द्वारा सम्मानित डिग्री और डिप्लोमा को दिनांक 18 मार्च, 1975 के निर्देशानुसार (उपाबंद P-3) तथ्यतः मान्यताप्राप्त माना जाना चाहिए। निर्देश यह भी प्रावधान करते है कि यदि किसी भी राज्य का कोई भी विभाग परीक्षा के आधार पर प्रमाण पत्र / डिप्लोमा के माध्यम से उसे हरियाणा राज्य में नियुक्ति के लिए योग्य बनाता है फिर संबंधित विभाग को हरियाणा राज्य के प्रमाण पत्र / डिप्लोमा के साथ तुलना करने के लिए ऐसी योग्यता और उसके पाठ्यक्रम की अवधि देखने की आवश्यकता है। एक बार यह पाया जाता है कि इस तरह के पाठ्यक्रम / प्रमाण पत्र मान्यता के योग्य है तो आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी विभागों में प्रसार को प्रभावित करने की आवश्यकता है। पूर्वोक्त स्थिति दिनांक 18 मार्च, 1975 (उपाबंद P-3) निर्देशों के खंड IV के पढ़ने से स्पष्ट हो जाती है। 2 नवंबर, 1999 (उपाबंद P-18) को जारी किए गये निर्देशानुसार, निर्देशों के समापन अनुच्छेद में निर्धारित है की मान्यता प्रदान करते समय/ उत्तरदाताओं- हरियाणा राज्य में भर्ती उद्देश्यों के लिए परीक्षा आदि. के लिए राज्य विश्वविद्यालयों या विद्यालय शिक्षा बोर्ड या तकनीकी शिक्षा बोर्ड, स्तिथि अनुसार, की राय लेना आवश्यक है। प्रतिवादी सं. 1 और 2 द्वारा दायर लिखित बयान तथा प्रतिवादी सं. 3 द्वारा दायर संक्षिप्त उत्तर का अवलोकन याचिकाकर्ता द्वारा स्वास्थ्य सेवा परिवार कल्याण, पंजाब के विभाग से प्राप्त प्रमाणित पाठ्यक्रम यह दर्शाता है कि समतुल्यता की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई है और न ही वह कभी भी किसी भी तरह से प्रतिवादी द्वारा जांच के अधीन था। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई प्रमाण पत्र की प्रतियां उपाबंद P4 और P5 और साथ में विस्तृत अंक कार्ड उपाबंद P-6 के रूप में रिकॉर्ड पर ली गई है।इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा मामला **राम भगत आदि.** *बनाम* **हरियाणा राज्य और अन्य** (CWP सं. 16320 सन् 1996 निर्णय दिनांक 16 जुलाई, 2006 उपाबंद P-16) में जारी निदेश पर प्रतिवादी-राज्य ने यह निर्देश जारी किए थे। प्रतिवादी सं. 3 अर्थात् हरियाणा राज्य चयन आयोग द्वारा पारित किया गया विवादित आदेश याचिकाकर्ता की पात्रता को केवल इस आधार पर ख़ारिज किया कि उसके द्वारा प्रमाण पत्र अनुमोदित संस्थान द्वारा

जारी नहीं किया गया अपितु स्वास्थ्य सेवा परिवार कल्याण विभाग, पंजाब द्वारा प्राप्त किया गया है। ऐसा निर्णय विवेक का पूर्णतः से प्रयोग किए बिना है से है मन के आवेदन के बिना और मनमाना माना जाना चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) की कसौटी पर कायम नहीं किया जा सकता है। प्रमाण पत्र पंजाब सरकार के उस विभाग द्वारा जारी किया गया है जिसे 18 मार्च,1975 के निर्देशानुसार मन्यताप्राप्त माना जाना चाहिए। निर्देश के खंड 2 को संदर्भित करना उचित है जिसके तहत:-

> "राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/उच्च/उच्चतर माध्यमिक बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया डिग्री एवं डिप्लोमा आदि वास्तव में तथ्यतः मान्यताप्राप्त है।"

(5) उपर्युक्त खंड के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/ उच्च/उच्चतर माध्यमिक बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया डिप्लोमा वास्तव में तथ्यतः मान्यताप्राप्त है। तत्काल मामले में जारी किया गया डिप्लोमा न केवल मान्यताप्राप्त है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण विभाग, पंजाब के विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस तरह के प्रमाण पत्र, जो पूर्वकथित निर्देशों के भावों के अनुकूल है, को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा, प्रतिवादी सं. 3 यह निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं था कि डिप्लोमा / प्रमाण पत्र अनुमोदित संस्थान द्वारा जारी किया गया है या नहीं। यहां तक की डिप्लोमा / प्रमाण पत्र निर्देशानुसार किसी भी संस्था से मूल्यांकन प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं किया गया है। तथापी, रिकॉर्ड पर दी गई सामग्री को परख कर हमने यह पाया है कि प्रतिवादी-राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त डिप्लोमा डेढ़ वर्ष की अवधि का है और उसके पाठ्यक्रम, अंतर्वस्तु भी समरूप हैं। अंतः, हमारा यह विचार है कि रिट याचिका अनुज्ञात होनी चाहिए।

(6)उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता सं. 2 को अयोग्य घोषित करने वाला आदेश दिनांक 16 जुलाई 2006 (उपाबंद P-16) को अभिखंडित किया जाता है। रिट याचिका को अनुज्ञात किया जाता है और उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता सं. 2 को बहु प्रयोजन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के पद पीरी नियुक्ति जारी करने के लिए निर्देशित किया जाता है। उत्तरदाताओं के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने की तारीख के दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्य निर्मित किया जाए।

(7) मुद्राबंद लिफ़ाफ़ा, जिसे हमारे दिशा निर्देश पर खोला गया था न्यायपीठ सचिव द्वारा पुनः मुद्रबंद किया गया है और तदनुसार विद्वक राज्य अधिवक्ता को सौंप दिया गया है।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह*

अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा